पंचायती राज व्यवस्था

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

पंचायती राज व्यवस्था Panchayati Raj System

पंचायती राज

गठन । संरचना । आरक्षण
कार्य । ई पंचायत
समितियां

पंचायती राज एवं नगरीय निकाय

पंचायती राज व्यवस्था Panchayati Raj System

- पंचायती राज व्यवस्था को सरकार का तीसरा अंग स्थानीय स्वशासन कहते है।
Panchayati Raj system is called local self-governance, the third organ of government.
- स्थानीय स्वशासन में "विकेन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था 'तथा '"सहभागिता मूलक लोकतंत्र ' का आदर्श निहित है। Local self-governance contains the ideals of 'decentralized governance' and 'participatory democracy'.
- इस शासन व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है की '"ग्रामीण जनता का शासक तक पहुंच 'होती है।The main advantage of this system of governance is that the rural people have access to the ruler.
- यह शासन व्यवस्था गाँधी जी का सर्वोदयी शासन का पर्याय है।
This system of governance is synonymous with Gandhiji's Sarvodaya governance.

❑ब्रिटिश काल में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के प्रशासनिक सुधार के लिए 1870 में शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचन की अवधारणा आरम्भ किया।

During the British period, the then Viceroy of India Lord Mayo introduced the concept of elections in urban municipalities in 1870 for administrative reform.

❑लार्ड रिपन (1882 - 84) नगरीय संस्थाओ के साथ साथ ग्रामीण व जिला स्तर पर भी पंचायत का आरम्भ किया।

Lord Ripon (1882 - 84) introduced Panchayats at rural and district levels along with urban institutions.

❑इस व्यवस्था को पंचायती राज का मैग्नाकार्टा कहा गया, और रिपन को पंचायती राज का जनक कहा गया।

This system was called the Magnacarta of Panchayati Raj, and Ripon was called the father of Panchayati Raj.

भारत में पंचायती राज व्यवस्था Panchayati Raj System in India

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य प्रतिपादक महात्मा गांधी थे।
The main proponent of the Panchayati Raj system in India was Mahatma Gandhi.

① सामुदायिक विकास कार्यक्रम Community Development Programs

➢फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से सन 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया। In 1952, with the support of Ford Foundation, the then Prime Minister Pundit Nehru started the Community Development Program on 2 October 1952.

➢इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक सुधार के प्रति लोगो में उत्साह पैदा करना था। The aim of this program was to create enthusiasm among the people towards economic and social reform.

➢लेकिन यह आम जान सहभागिता के अभाव के कारण विफल रहा।it failed due to lack of public participation.

पंचायतों में सुधार के लिए विभिन्न समितियां आयी। Various committees came to bring about reforms in the Panchayats.

बलवंत राय मेहता समिति Balwant Ray Mehta Committee, 1957

योजना आयोग के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। This committee was formed by the Planning Commission.

इन्होने ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया। They recommended a three-tier Panchayati Raj system.

1. ग्राम स्तर Village level
2. प्रखंड / ब्लॉक स्तर Block level
3. जिला स्तर District level

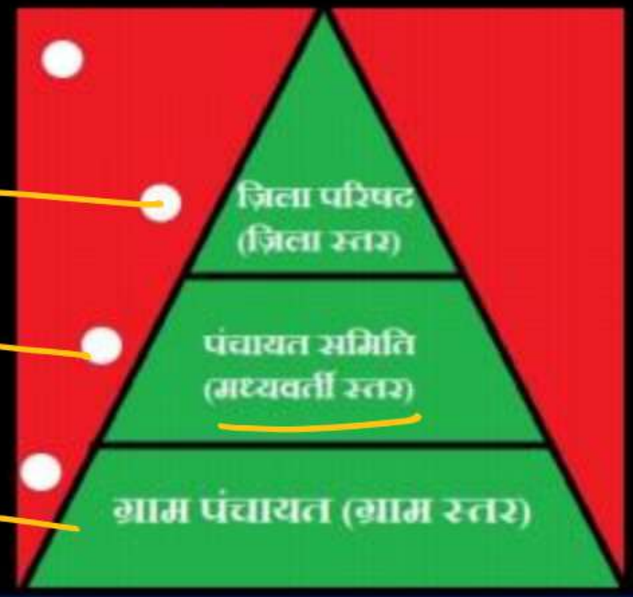

इनकी सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1959 में स्वीकार कर लिया और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में लागु किया। Their recommendation was accepted by the then Prime Minister Pundit Nehru in 1959 and it was first implemented in Nagaur, Rajasthan on 2 October 1959.

11 अक्टूबर 1959 को महबुब आन्ध्रप्रदेश में लागु किया गया।
It was implemented in Mehboob Rajasthan on 11 October 1959.

1960 में तमिलनाडु , असम , कर्नाटक में लागु। Implemented in Tamil Nadu, Assam, Karnataka in 1960.

1962 में महाराष्ट्र में तथा कालांतर में सभी राज्यों ने लागु किया।Implemented in Maharashtra in 1962 and later in all the states
नोट- मध्यवर्ती स्तर उसी राज्य में लागू होगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी।
The intermediate level will be applicable only in those States whose population is less than 20 lakhs.

अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee, 1977

भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई थे। उसी समय इन्होने रिपोर्ट प्रस्तुत किया।For the first time a non-Congress government was formed in India whose Prime Minister was Morarji Desai. At the same time he presented the report.

A. इन्होने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया।
He recommended two-tier Panchayati Raj system.
   1. ग्राम मंडल पंचायत Gram Mandal Panchayat (15 से 20 गाँव का समूह)
   2. जिला परिषद् District Council

B.न्याय पंचायत का गठन तथा 4 वर्ष का कार्यकाल।
Formation of Nyaya Panchayat and tenure of 4 years.

C. पंचायत के चुनाव में दलीय व्यवस्था।Party system in Panchayat elections.

D.पंचायती राज का संवैधानिक स्वरूप हो।Panchayati Raj should have constitutional form.

E. पृथक वित्त आयोग होगा। There will be a separate finance commission.

नोट - इस समिति के सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने अस्वीकार कर दिया। The recommendation of this committee was rejected by the then Prime Minister Morarji Desai.

GVK राव समिति GVK Rao Committee,1985

- इस समिति का गठन गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था। This committee was formed for poverty alleviation.
  इसे कार्ड समिति भी कहते है It is also called Card Committee.
- पंचायती राज के लिए वित्त आयोग। Finance Commission for Panchayati Raj.
- इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। Its tenure will be 5 years.
- इस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होगा। The Central Government will have control over it.
- इनकी सिफारिशों को भी लागु नहीं किया गया। Its recommendations were also not implemented.

लक्ष्मीमल सिंघवी समिति Lakshmi Mal Singhvi Committee, 1986

इस समिति का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पंचायत में सुधर के लिए किया गया।This committee was formed by the Rural Development Ministry for reforms in Panchayat.

इनकी प्रमुख शर्तें निम्न थी।Its main conditions were as follows.

1. पंचायती राज को दो भागो में विभाजित कर दिया जाय। Panchayati Raj should be divided into two parts. → ग्रामिण पंचायती राज → नागरिक पंचायती राज.
2. इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। Its tenure will be of 5 years.
3. महिलाओ के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान।Provision of one-third reservation for women. ↳ 50% बिहार, HP, महाराष्ट्र, MP.
4. SC और ST के लिए जनसँख्या के अनुपात में सीट।Seats for SC and ST in proportion to population. पॉपुलेशन
5. राज्य वित्त आयोग का गठन।Formation of State Finance Commission.
6. पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया जायेगा।Panchayati Raj system will be given constitutional status.

ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था
Rural Panchayat Raj System
73 CAA 1992

नगरीय पंचायती राज व्यवस्था
Urban Panchayat Raj System
74 CAA 1993

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING